

अनुमति की शर्तें ।

- 1. एकल भवन / भूखण्ड का निर्माण की स्वीकृति शर्तियाँ निम्न की जाती हैं :-
- 2. इस शर्तों को अन्ततः का विवाद (न्यायिक) राजकीय अधिकारण का अन्तः होने को शर्तों में विषय का कार्य प्रत्यक्ष/व्यक्ति नहीं होगा।
- 3. यदि न तो निम्न शर्तों स्वीकृति को प्राप्त करारधारी होगा ।
- 4. एकल भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने ही आदेशक निगम को सूचित करेगा ।
- 5. एक स्वीकृत भवन के विपरीत निर्माण कार्य जामे पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल खिड़की केवल आवासीय इवीजनार्थ

नगरपालिका नगर निगम, जोधपुर

आदेशक क्रमांक 495 दिनांक 04/02/2020

श्रीमती श्रीमती उर्मिला जैन को 310 स्त्री सौहार्द सदन जैन

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 3000/- जमा

करिये रसीद संख्या 9069/955-956

दिनांक 04/02/2020 को जमा करा दी है ।

जी+1
आवासीय

P.O. : 345 बुधवार नगर
मोजना

(Signature)

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

(Signature)
12/2/2020

9314001504